



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235446  
CG-DL-E-29042022-235446

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]  
No. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

**सा.का.नि. 325(अ).**—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 की उपधारा (8क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), नियम 12कख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएंगे, अर्थात् :-

**“12कग. आय की अद्यतन विवरणी.**—(1) धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन विवरणी फाइल करने योग्य व्यक्ति 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात् वर्षों से संबंधित आय की विवरणी प्ररूप आईटीआर-यू में कर सकता है जो इसमें उपदर्शित तरीके से सत्यापित होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आय की विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जो उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तरीके में नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित है:-

| क्रम सं. | व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आय की विवरणी देने की रीति                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                                                                       |
| 1.       | व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जिसके मामले में अधिनियम की धारा 44 कख के अधीन खाते को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित है या कंपनी या राजनीतिक पार्टी को प्ररूप आईटीआर-7 में विवरणी देना अपेक्षित है। | अंकीय चिह्नक के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से                                                                                                  |
| 2.       | व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या फर्म या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या व्यष्टि के निकाय या व्यक्तियों का संगम, चाहे वे निगमित हों या नहीं, या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति या धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ख) या उपधारा (4ग) या उपधारा (4घ), उपरोक्त क्र.सं. (1) के संतम्भ (2) में उल्लिखित व्यक्तियों से अन्य।                        | (क) अंकीय चिह्नक के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से<br>(ख) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन विवरणी में डाटा को इलेक्ट्रानिक रूप में प्रेषित करना |

3. मूल नियमों में, परिशिष्ट-2 में, आईटीआर-पाव. के पश्चात् निम्नलिखित आईटीआर-यू (विवरणी अद्यतन करने के लिए आईटीआर) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश्न | आ.क.वि.- यू | <p style="text-align: center;"><b>भारतीय आयकर अद्यतन विवरणी</b></p> <p style="text-align: center;">[व्यक्तियों के लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चौबीस महीने के भीतर आय को अद्यतन करने के लिए]</p> <p style="text-align: center;">(पात्रता के लिए निर्देश देखें)</p> <p style="text-align: center;">(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12कक देखें)</p> |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## भाग क साधारण जानकारी - 139(8क)

[illegible]



|     |    |                                                                                                                                      |  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | च. | कुल अतिरिक्त आय (क+ख+ग+घ+ङ.+च)                                                                                                       |  |
|     | ख. | पिछले वैध विवरणी के अनुसार कुल आय (केवल उन मामलों में जहां आयकर विवरणी पहले फाइल किया गया है)                                        |  |
| 2.  |    | भाग ख-टीआई के अनुसार कुल आय (कृपया निर्देश देखें)                                                                                    |  |
| 3.  |    | देय राशि, यदि कोई हो (अद्यतन आईटीआर के भाग ख-टीटीआई की "देय राशि" से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)                                   |  |
| 4.  |    | वापसी योग्य राशि, यदि कोई हो (अद्यतन किए गए आईटीआर के भाग ख-टीटीआई के "प्रतिदाय" से ली जाए) (कृपया निर्देश देखें)                    |  |
| 5.  |    | अंतिम वैध विवरणी के आधार पर देय राशि (केवल लागू मामलों में)                                                                          |  |
| 6.  |    | (i) पिछले वैध विवरणी के अनुसार दावा किया गया प्रतिदाय, यदि कोई हो (कृपया निर्देश देखें)                                              |  |
|     |    | (ii) पिछले वैध विवरणी के अनुसार जारी किया गया कुल प्रतिदाय, यदि कोई हो (धारा 244क के अधीन प्राप्त ब्याज सहित ) (कृपया निर्देश देखें) |  |
| 7.  |    | धारा 234च के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क                                                                    |  |
| 8.  |    | नियमित निर्धारण कर, यदि कोई हो (लागू मामलों में)                                                                                     |  |
| 9.  |    | अतिरिक्त आय पर सकल देयता                                                                                                             |  |
|     |    | (i) यदि धनवापसी जारी की गई है [3 + 6ii- (5 + 8)]                                                                                     |  |
|     |    | (ii) यदि धनवापसी जारी नहीं की गई है [3 + 6i – (5+8)]                                                                                 |  |
| 10. |    | अद्यतन आय पर अतिरिक्त आयकर देयता [25% or 50% of (9-7)]                                                                               |  |
| 11. |    | देय शुद्ध रकम (9+10)                                                                                                                 |  |
| 12. |    | 140ख के अधीन संदेय कर                                                                                                                |  |
| 13. |    | देय कर (11-12)                                                                                                                       |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                     |            |                                     |                             |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 14.             | कर संदाय (केवल अद्यतन विवरणी के अनुसार)                                                                                                                                                             |            |                                     |                             |          |
| क               | धारा 140ख के अधीन अद्यतन विवरणी पर कर के भुगतान का विवरण                                                                                                                                            |            |                                     |                             |          |
| 140ख के अधीन कर | क्र.सं.                                                                                                                                                                                             | बीएसआर कोड | जमा करने की तारीख<br>(दिन/माह/वर्ष) | चालान रकम की क्रम<br>संख्या | रकम(रु.) |
|                 | (1)                                                                                                                                                                                                 | (2)        | (3)                                 | (4)                         | (5)      |
|                 | i                                                                                                                                                                                                   |            |                                     |                             |          |
|                 | ii                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |                             |          |
|                 | iii                                                                                                                                                                                                 |            |                                     |                             |          |
|                 | iv                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |                             |          |
|                 | टिप्पण▶ भाग ख-अति के क्र. सं.11पर धारा 140ख के अधीन संदेय कर का योग                                                                                                                                 |            |                                     |                             |          |
|                 | कर संदाय                                                                                                                                                                                            |            |                                     |                             |          |
| ख               | अग्रिम कर/स्व-निर्धारण कर/नियमित निर्धारण कर के भुगतान का विवरण, जिसके लिए जमा नहीं किया गया है पहले के विवरणी में दावा किया गया है (उसके लिए धारा 140ख(2) के अधीन प्रतिदेय की पुनः अनुमति नहीं है) |            |                                     |                             |          |

| अग्रिम/स्व-मूल्यांकन/नियमित निर्धारण कर                                                                                      | क्र.सं. | बीएसआर कोड | जमा करने की तारीख<br>(दिन/माह/वर्ष) | चालान राशि की क्रम<br>संख्या | रकम(रु.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|
|                                                                                                                              | (1)     | (2)        | (3)                                 | (4)                          | (5)      |
|                                                                                                                              | i       |            |                                     |                              |          |
|                                                                                                                              | ii      |            |                                     |                              |          |
|                                                                                                                              | iii     |            |                                     |                              |          |
|                                                                                                                              | iv      |            |                                     |                              |          |
| टिप्पण ► धारा 140ख(2) के अधीन उपरोक्त के लिए प्रतिदेय की पुनः अनुमति नहीं है                                                 |         |            |                                     |                              |          |
| 15. धारा 89के अधीन राहत जिसका दावा पहले विवरणी में नहीं किया गया है [उसके लिए धारा 140 ख (2) के अधीन राहत की अनुमति नहीं है] |         |            |                                     |                              | रुपए     |

### सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं हूँ इस विवरणी को \_\_\_\_\_ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान करने के लिए ड्रॉप डाउन) के रूप में अपनी क्षमता में बना रहा हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर: '.

[अधिसूचना सं. 48/2022/फा. सं.370142/18/2022-टीपीएल(भाग-1)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधायन

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सा.का.नि 309(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।